न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 309/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/303)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. प्रकाश सिंह पुत्र स्व. बलवीर सिह आयु 49 वर्ष जाति रायसिख निवासी वार्ड नं0 07, गांव 13 एच ठडड़ा तहसील श्रीकरनपुर। 2. अमरजीत सिंह पुत्र स्व. बलवीर सिह आयु 35 वर्ष जाति रायसिख निवासी वार्ड नं0 07, गांव 13 एच ठडड़ा तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमीत सिंह पुत्र स्व. बलवीर सिह आयु 34 वर्ष जाति रायसिख निवासी वार्ड नं0 07, गांव 13 एच ठडड़ा तहसील श्रीकरनपुर।	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर। 2. जीतो बाई पत्नी स्व. बलवीर सिह आयु 57 वर्ष जाति रायसिख निवासी वार्ड नं0 07, गांव 13 एच ठडड़ा तहसील श्रीकरनपुर 3. सिमरजीत कौर पुत्री स्व. बलवीर सिंह पत्नी सुखदेव सिंह आयु 47 वर्ष जाति रायसिख निवासी वार्ड नं0 08, चक 22 पी टी डी–बी, तहसील रायसिंहनगर 4. विमला कौर पुत्री स्व. बलवीर सिंह पत्नी चरण सिंह आयु 44 वर्ष जाति रायसिख निवासी चक 12 एन आर डी–ए, डाबला, बिशनपुरा, तहसील रायसिंहनगर 5. परमजीत कौर पुत्री स्व. बलवीर सिंह पत्नी बग्गा सिंह आयु 39 वर्ष जाति रायसिख निवासी चक 8 के वाई डी, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर 6. लालो बाई पुत्री स्व. बलवीर सिह पत्नी केवल सिंह आयु 32 वर्ष जाति रायसिख निवासी गली नं0 01, चक 12 एन आर डी–ए, डाबला, बिशनपुरा, तहसील रायसिंहनगर।

तारीख रजू:– 29.11.2023

उपस्थितः 1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण
2.श्री प्रेम कुमार नायक अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209 आरटीए

––निर्णय–– **दिनांक : 12.02.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 1 एस, पटवार मण्डल मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरनपुर की चालू जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 105/99 में मुरब्बा नम्बर 3 व 9 में कुल 7.992 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक वनजारा सिह पुत्र बहादर सिंह के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के काश्तकार मृतक वनजारा सिह पुत्र बहादर सिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच ठड्डा तहसील श्रीकरनपुर के द्वारा अपने जीवनकाल में चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 19, 22, 24, 25 एवं 12/1 में कुल 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि की वसीयत वादीगण के पिता बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच ठड्डा के नाम दिनांक 16.10.1978 को रूबरू गवाहान के निष्पादित कर दी थी। उक्त वसीयत के अनुसार वादीगण के पिता मृतक बलवीर सिह उक्त 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अपने जीवनकाल में कब्जा व काश्त चले आ रहे थे। वादीगण के पिता के द्वारा मृतक वनजारा सिंह की वसीयतशुदा भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा की सारसंभाल, तमाम कृषि सुविधाओ की पूर्ति की जाती थी। इस प्रकार से वादीगण के पिता बलवीर सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् बलवीर सिंह को वसीयतप्राप्त 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर उनके वारिसो का कब्जा काश्त शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर चला आ रहा है। वादीगण के पिता बलवीर सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् वर्ष 2017 में मृतक बलवीर सिंह के वारिसो द्वारा [illegible] सहमति से पारिवारिक सम्पति विभाजन कर लिया गया। पारिवारिक सम्पति विभाजन में प्रतिवा[illegible] अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में अधिकार वादीगण को संयुक्त [illegible] वादीगण बलवीर सिंह की वसीयतप्राप्त 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि पर बहिस्सा बराबर [illegible] है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पिछले कुछ समय से पारिवारिक मन मुटाव हो जाने के पश्चात् प्रति[illegible] संख्या 2 से 6 का व्यवहार वा[illegible] उनके परिवार के मध्य ठीक नही है, परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातो को लेकर, वाद-विवाद होने के [illegible] वादीगण की बहिने प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का व्यवहार में भी वादीगण व उसके परिवार के प्रति रूखा हो गया। पारिवारिक वाद-विवाद होने के कारण प्रतिवादीगण अक्सर कहते है कि वह बलवीर सिंह की वसीयतप्राप्त 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज नही करवायेगी और वह उक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर, कृषि भूमि को औने पौने दामो में विक्रय कर देगी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वर्ष 2017 में हुये पारिवारिक सम्पति विभाजन को भी प्रतिवादीगण मानने से साफ इंकार कर रहे है। वादीगण के कब्जा काश्त की वसीयतशुदा भूमि का नामांतरण करवाने के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कई बार पारिवारिक व रिश्तेदारो की उपस्थिति में पंचायत हुयी, जिसमें प्रतिवादीगण ने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2017 में हुये सम्पति विभाजन के अनुसार हमने वसीयतप्राप्त भूमि वादीगण को अवश्य सुपुर्द की हुयी है, लेकिन अब हम उनके नाम से राजस्व अभिलेख में सम्पति दर्ज नही करवायेंगे, हम उक्त भूमि को बेचान करेंगे। वादीगण ने प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वह सम्पति विभाजन के अनुसार संयुक्त रूप से उक्त 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है और मेहनत की कमाई से उक्त भूमि का उपजाऊ व समतल बनाया है, जिस कारण वह उक्त भूमि से फसल की पैदा करके, अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है, यदि आप हमारी सम्पति विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का बेचान किसी अन्यत्र को करते है तो उनको व उनके परिवार को न पूरा होने वाला नुकसान होगा, तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट कहा कि वे तो वादीगण के साथ नामांतरण प्रक्रिया करवाने में किसी प्रकार का सहयोग नही करेंगे और न ही उक्त भूमि का नामांतरण करवायेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण पेश किया जा रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण गांव में आये व लोगो को कहा कि वह मृतक बलवीर सिंह को वसीयतप्राप्त कृषि भूमि को विक्रय करना चाहते है। वादीगण ने ऐसा करने से रोका तो प्रतिवादीगण के द्वारा काफी वाद-विवाद किया गया। प्रतिवादीगण उक्त भूमि जल्द ही किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर उतारू है। वादीगण ने कई बार राजस्व पटवारी व उपतहसीलदार राजस्व, केसरीसिंहपुर के समक्ष उपस्थित होकर, उक्त वादाधीन भूमि का नामांतरण मृतक बलवीर सिंह के वारिसो के नाम से दर्ज करने हेतु उपस्थित हुये, तो संबंधित पटवारी ने भूमि का अभिलेख देखकर, वादीगण को अवगत करवाया गया कि वादाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में वनजारा सिंह के नाम से अभिलेखित है, आपके पिता बलवीर सिंह का नाम अंकन नही है, तो वादीगण ने कहा कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा चला आ रहा है और मृतक बलवीर सिंह अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज थे। इस पर हम वादीगण ने घर आकर, मृतक बलवीर सिंह की अलमारी व उनके संभाले हुये दस्तावेजो की जांच पडताल की गयी तो हम वादीगण को उक्त वसीयत दिनांक 16.10.1978 मूल प्राप्त हुयी। वसीयत प्राप्त होने के पश्चात् वादीगण मूल वसीयत व शपथ पत्र लेकर, दिनांक 07.11.2023 को राजस्व पटवारी व उपतहसीलदार कार्यालय केसरीसिंहपुर में उपस्थित हुये, तो उनके द्वारा कहा गया कि वसीयत पंजीकृत नहीं है इत्यादि आपति जाहिर करते हुये, दस्तावेजो के मुताबिक राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने से साफ इंकार कर दिया गया। इस कारण राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरनपुर को हस्तगत प्रकरण में बतौर पक्षकार प्रतिवादी संयोजित किया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 1 एस, पटवार मण्डल मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरनपुर की चालू जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 105/99 में मुरब्बा नम्बर 3 व 9 में कुल 7.992 हैक्टेयर बारानी भूमि में से वादीगण के पिता बलवीर सिंह को वसीयत दिनांक 16.10.1978 से प्राप्त भूमि चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 19, 22, 24, 25 एवं 12/1 में कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर, वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार नायक उपस्थित आए। वादीगण प्रकाश सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह व प्रतिवादीगण जीतो बाई, सिमरजीत कौर, विमला कौर, परमजीत कौर, लालो बाई के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर [illegible] 12.2023 को समझौतानामा पेश किया। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के [illegible] एस के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 4 से 7, 14 से 17, 19, 22, 24, 25 एवं 12/1 [illegible] बिस्वा भूमि जो मृतक बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी [illegible] 16.10.1978 को प्राप्तशुदा है, में प्रत्येक पक्षकार को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर, दाव[illegible]की फरमाया जावे। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 263 दिनांक 06.02.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 1 एस की जमाबन्दी के खाता संख्या 105/99 के मुरब्बा नम्बर 03, 06 में वनजारा सिंह पुत्र बहादर सिंह जाति रायसिख के नाम कुल 7.992 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 03 के बारे में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच की गई एंव उपस्थित लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 4 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 19, 22 ,24, 25 सालम-सालम, कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि पर बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एच के वारिसान का कब्जा काश्त होना बताया गया। बलवीर सिंह के वारिसान से कब्जा काश्त का आधार पूछे जाने पर बताया कि मृतक वनजारा सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 16.10.1978 को बलवीर सिंह के पक्ष में सम्पादित कराई थी। जिसके आधार पर तब से आदिनांक तक मौके पर काबिज है। वर्तमान में बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह की मृत्यू हो चुकी है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों का राजीनामा हो चुका है। इसलिए वाद बिन्दू कायमी की आवश्यकता नही है।

3. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/99 की प्रति, वंजारा सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.1979 की प्रति, वसीयत दिनांक 16.10.1978 की प्रति, बलवीर सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 16. 10.2016 की प्रति, मृतक बलवीर सिंह के वारिसनामा की प्रति, उपसरपंच ग्राम पंचायत मलकाना खूर्द के द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, प्रकाश सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम पर्ची बाराबन्दी की प्रति, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अवलोकन से स्पष्ट है। उभयपक्ष के द्वारा राजस्व ग्राम चक 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/99 के मुरब्बा नम्बर 3, 6 की कुल 7.992 हैक्टेयर भूमि में से वंजारा सिंह के द्वारा 12 बीघा 10 बिस्वा की बलवीर सिंह के हक में की गई वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। चक 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/99 के मुरब्बा नम्बर 3, 6 की कुल 7.992 हैक्टेयर बारानी भूमि वनजारा सिंह पुत्र बहादर सिंह जाति रायसिख निवासी ठड्डा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वसीयत दिनांक 16.10.1978 के मुताबिक उक्त भूमि में से वन्जारा सिंह के द्वारा मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 4 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 19, 22 ,24, 25 सालम-सालम, कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह के हक में निष्पादित की गई है। वनजारा सिंह व बलवीर सिंह की मृत्यू हो चुकी है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 03 के बारे में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जांच की गई एंव उपस्थित लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 4 ता 7 सालम-सालम, किला नम्बर 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 19, 22 ,24, 25 सालम-सालम, कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि पर बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एच के वारिसान का कब्जा काश्त होना बताया गया। बलवीर सिंह के वारिसान से कब्जा काश्त का आधार पूछे जाने पर बताया कि मृतक वनजारा सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 16.10.1978 को बलवीर सिंह के पक्ष में सम्पादित कराई थी। जिसके आधार पर तब से आदिनांक तक मौके पर काबिज है। उपसरपंच ग्राम पंचायत मल[illegible] प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया गया है। कि बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 13 [illegible] ठड्डा [illegible] श्रीकरणपुर का रहने वाला है। इनकी जमीन चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 3 [illegible] 16.10.1978 से लेकर वर्तमान तक बलवीर सिंह का कब्जा एंव काश्त वसीयत के आधार पर चला आ रहा है। मै इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा के अनुसार चक 1 एस के मुरब्बा नं0 3 के किला नं0 4 से 7, 14 से 17, 19, 22, 24, 25 एवं 12/1 में कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो मृतक बलवीर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 13 एच को वसीयत दिनांक 16.10.1978 को प्राप्तशुदा है, में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्रत्येक पक्षकार को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर, दावा डिक्री फरमाया जावे। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा, उपसरपंच ग्राम पंचायत मलकाना खुर्द के प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना-खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/99 में वनजारा सिंह पुत्र बहादर सिंह के नाम दर्ज कुल 7.992 हैक्टेयर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 12 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 19, 22, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम भूमि का वादीगण प्रकाश सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह व प्रतिवादीगण जीतो बाई, सिमरजीत कौर, विमला कौर, परमजीत कौर, लालो बाई प्रत्येक को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकाश सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर 309/2023
निर्णय दिनांक :- 12.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार नायक उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना-खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 105/99 में वनजारा सिंह पुत्र बहादर सिंह के नाम दर्ज कुल 7.992 हैक्टेयर बारानी भूमि में से मुरब्बा नम्बर 03 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 सालम-सालम, किला नम्बर 12 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 19, 22, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम भूमि का वादीगण प्रकाश सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह व प्रतिवादीगण जीतो बाई, सिमरजीत कौर, विमला कौर, परमजीत कौर, लालो बाई प्रत्येक को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 15.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/49
दिनांकः 15.02.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested